न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
09/2025 प्रा.पत्र/2025	29.01.2025	07.03.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

..............प्रार्थी

बनाम

1–श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन निवासी ग्रा0 पो0 पंवालिया तह. टोडारायसिंह जिला केकडी एफ.बी.ओ. मैसर्स जय नोस्ती मॉ ट्रेंडिग कम्पनी बस स्टैंण्ड के बाहर टोडा रोड मालपुरा जिला टोंक राज0। मोबाईल नं. 7891013172।

2–मैसर्स जय नोस्ती मॉ ट्रेंडिग कम्पनी बस स्टैंण्ड के बाहर टोडा रोड मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304502।

3–श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी गंगानाायण जी की गली मालपुरा जिला टोंक राज0 प्रोपरायटर मैसर्स शुभम ट्रेडर्स(मेहरू वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक

4–मैसर्स शुभम ट्रेडर्स(मेहरू वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0। 304502

5–श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गादास अग्रवाल निवपसी गारोडिया भवन बस डिपो के पास फलौदी जिला जोधपुर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स बाबा रामदेव केम फूड गारोडिया मैन्शन नगर पालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर राज0। मोबाईल नं. 9950679523।

6–मैसर्स बाबा रामदेव केम फूड गारोडिया मैन्शन नगर पालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर राज0। पिनकोड–342301।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री अभिषेक जैन एवं राजकुमार जैन स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 07/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.04.2024 को समय 02:20 पी.एम. पर मैसर्स जय नोस्ती मॉ ट्रेंडिग कम्पनी बस स्टैण्ड के बाहर टोडा रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जय नोस्ती मॉ ट्रेंडिग कम्पनी बस स्टैण्ड के बाहर टोडा रोड मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ओ/मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 15–16 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 किलोग्राम पैक **रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो नमक(फॉचूर्न प्लस ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 15–16 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 किलोग्राम पैक में से **रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो नमक(फॉचूर्न प्लस ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 02 एवं पैकिंग की दिनांक फरवरी 2024 थी, में से ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 1–1 किलोग्राम पैक को ज्यों का त्यों के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो नमक(फॉचूर्न प्लस ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 1–1 किलोग्राम पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग कागज के गत्ते के चार डिब्बों में रखकर डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार एयर टाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4026 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4026 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता अभिषेक जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स शुभम ट्रेडर्स(मेहरू वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य प्रदार्थ कय करना बताया। श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन मैसर्स शुभम ट्रेडर्स (मेहरू वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर बतोर वारन्टी मैसर्स बाबा रामदेव केम फूड गारोडिया मैन्शन नगर पालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/508 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/1341/एक्ट/2024/1546 दिनांक 22.04.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो नमक(फॉचूर्न प्लस ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 श्री अभिषेक जैन एवं अप्रार्थी सं0 3 श्री राजकुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं0 5(निर्माता फर्म) ने अपना प्रतिनिधि श्री राजकुमार जैन (मित्तल) को न्याय–निर्णयन हेतु मय नियुक्ति पत्र नियुक्त किया। अप्रार्थीगण ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो नमक(फॉचूर्न प्लस ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर आयोडाईज्ड होना अंकित है परन्तु लेब में आयोडीन के लिए की गई जांच में आयोडीन की मात्रा शून्य पाई गयी है जो कि लेबल पर अंकित तथ्यों के पूर्णतया विपरीत है एवं इसका उपयोग मानव

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो नमक(फॉर्चून प्लस ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म(अप्रार्थी सं0 5 व 6) से पैक्ड अवस्था में क्रय किया है एवं उसी पैक्ड अवस्था में विक्रय हेतु रखा था अतः अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है एवं अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0